

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
मंगलवार, 12 जुलाई, 2005/आषाढ़ 21, 1927(शक)

सं. 99

विषय : सदस्य की नजरबंदी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित, उपायुक्त पुलिस, उत्तरी जिला, सिविल लाईन्स, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

“मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री सुभाष सचदेवा को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत आजाद मार्केट चौक, दिल्ली से दिनांक 09.07.2005 को पूर्वाह्न 11.15 बजे नजरबंद किया गया।

उन्हें, उसी दिन एवं उसी स्थान से पूर्वाह्न 11.30 बजे रिहा कर दिया गया” ।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**  
**BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)  
Tuesday 12<sup>th</sup> July, 2005/21 Ashadha 1927 (Saka)

No. 99

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, North District, Civil Lines, Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Subhash Sachdeva, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 from Azad market Chowk, Delhi at 11.15 AM. on 9.7.2005.

They were released at 11.30 AM. from the same place and same date."

SIDDHARATH RAO  
SECRETARY